न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–67/2013

मलकीत सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

———वादी

बनाम

1. स्वर्ण कौर आयु 67 वर्ष पत्नी जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
2. जसवीर सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
3. रघुवीर सिंह आयु 47 वर्ष पुत्र जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
4. रणजीत कौर आयु 44 वर्ष पत्नी त्रिलोचन सिंह पुत्री जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 42 जीबी तहसील श्री विजयनगर।
5. मनजीत कौर आयु 42 वर्ष पत्नी सुखविन्द्र सिंह पुत्री जीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी जैतसर तहसील श्री विजयनगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सुखविन्द्रसिहं ——— वादी की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिह——— प्रतिवादी सं.1ता5

::निर्णय:: **दिनांक –23.02.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि– वादी मलकीतसिंह द्वारा वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं.1ता5 के नाम से चक 72 जी बी तहसील अनूगढ़ का पं.न. 268/436 मु.न. 20 का कि.नं.1ता25 का 6.200 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे आगे विवादित कृषि भूमि कहा जाएगा। विवादित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 2ता3 के मध्य दिनांक 04.06.2012 को लिखित में घरेलू बटवारा किया गया जो निम्न प्रकार है:–

(क) वादी के हिस्सा में बटंवारा में चक 72 जी बी के पं.न.268/436 मु.नं.20 के किला नं.2 का सवा तीन बिस्वा, 3,4,7,14 इस प्रकार कुल 4 बीधा सवा तीन बिस्वा कृषि भूमि आई।

(ख) प्रतिवादीया सं.1 जो वादी की माता [illegible] तहसील अनूगढ़ का पं.न.268/436 मु.नं.20 के किला नं.16,17,24,25 [illegible] भूमि आई।

(ग) शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं.2ता5 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्त लिखित बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 के आधार पर लिखित घरेलू बटंवारानामा दर्ज किलाजात पर वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता5 पर निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 पर सहमति प्रतिवादी सं.1,4,5 द्वारा भी दी गई थी लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 नोटरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है वादी द्वारा प्रतिवादी सं.1ता5 को कई बार आग्रह किया कि लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे लेकिन प्रतिवादीगण 1ता5 टालमटोल करते हुए समय व्यतीत करते रहे अपने भाईचारे को बनाये रखने के लिए अरसा 2 दिन पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं.1ता5 से सर्म्पक कर उनसे लिखित घरेलू बटंवारानामा के आधार से सम्पर्क कर

उनसे लिखित घरेलू बंटवारानामा दिनांक 04.06.2012 के आधार पर बंटवारा करवाने के लिऐ कहा तो प्रतिवादी सं.1ता5 ने बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और धमकी दी कि वे शीघ्र ही लिखित घरेलू बंटवारानामा के आधार पर प्राप्त किलाजात से वादी को जबरन बेदखल करेंगे और विवादित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन बैय एवं हस्तान्तरण कर देगें। अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिऐ वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध लिखित घरेलू बंटवारानामा दिनांक 04.06.2012 के आधार पर बंटवारा करवाने एवं स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है। ताईद में वादी ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1ता5 द्वारा उपस्थित होकर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया कि वाद पत्र की मद सं. 2 में दर्ज कृषि भूमि में वादी एवं हम प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। हम प्रतिवादी सं. 1, 4वा5 द्वारा उक्त कृषि भूमि मे अपने 3/6 हिस्सा का हक त्याग प्रतिवादी सं. 2वा3 के पक्ष में त्याग कर प्रतिवादी सं. 2वा3 के पक्ष में दस्तावेज दस्तबदारी दिनांक 26.2.2013 को निष्पादित कर उप पंजीयक अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत पंजीबद्ध करवा दी गई थी इस प्रकार उक्त दस्तावेज के प्रकाश में प्रतिवादी सं. 1,4व5 के 3/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2वा3 में निहित हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता5 के मध्य कोई घरेलू बंटवारा नंही किया गया ओर तथाकथित 4.6.2012 को जो वादी एवं प्रतिवादी सं. 2वा3 के मध्य वादी ने लिखित बताई है वह वादी द्वारा प्रतिवादी सं.2वा3 को मुगालता में रखकर करवाई गई है जिसका हम प्रतिवादीगण को अब वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के माध्यम मे ज्ञात हुआ है प्रतिवादी सं.2ता5 को किस किला मे कितनी जमीन प्राप्त हुई ओर किस प्रतिवादी का कौनसा किला है के बारे मे कोई वर्णन नंही किया गया है। उक्त घरेलू बंटवारा बाबत प्रतिवादीगण किसी प्रकार से सहमत नंही थे ओर ना ही किसी प्रकार की सहमति से तथाकथित बंटवारा किया गया। वादी ने अपनी मनमर्जी से एवं बढिया किस्म की भूमि देखकर तथाकथित बंटवारानामा में अपने हिस्से मे किलेजात आना दर्शा लिया ओर प्रतिवादी सं01 को जो तथाकथित बटंवारा मे किलाजात देने बताये है उन पर न तो प्रतिवादी सं01 का कब्जा है ओर ना ही वह उक्त किलाजात पर सहमत थी। ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा तैयार किया गया तथाकथित बटंवारानामा आधारहीन व निष्प्रभावी दस्तावेज है। जिसके आधार पर वादी किसी प्रकार का बटंवारा की डिग्री प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नंही है। वादी को हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नंही है अन्त में वाद पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. आया वादी एवं प्रतिवादीगण सं.1ता5 के नाम से चक 72 जी बी तहसील अनूगढ का पत्थर नं.–268/436 मु.न.20 का कि.न.1ता25 का 6.200 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में तथा खाता में है जो पारिवारिक लिखित घरेलू बटंवारा के तहत किला नं.–2 का सवा तीन बिस्वा, 3,4,7,14 इस प्रकार कुल 4 बीधा सवा तीन बिस्वा कृषि भूमि आई है। जिसका किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी हूँ ?

....वादी

2. आया लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 फर्जी है ?

....प्रतिवादीगण

3. आया वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है?

....प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:23 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.–1 मलकीतसिंह की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई एवं बतौर प्रलेखिय साक्ष्य जमाबन्दी प्रदर्श–1, बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 प्रदर्श–2 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

साक्ष्य प्रतिवादीगण में डीड– जसवीरसिंह साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई एवं बतौर प्रलेखिय साक्ष्य कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नंही करवाए गए।

वाद पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र के साथ शामिल दस्तावेज व वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विचरित किए गऐ विवाद्यको के सम्बंध में न्यायालय, का निष्कर्ष निम्नलिखित है :–

विवाद्यक सं.–1

उक्त विवाद्यक सं.1 को साबित करने का भार वादी पर है। स्वयं वादी ने बतौर पीडब्ल्यू–1 अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वाद पत्र में अभिवचनो की पुनरावर्ती की है तथा वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि विवादित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं.2ता3 के मध्य दिनांक 04.06.2012 को लिखित में घरेलू बटंवारा किया गया, उक्त दस्तावेज दिनांक 04.06.2012 के गवाह जसवन्त सिंह को भी साक्षी प्रतिपरीक्षित करवाया गया। वादी के हिस्सा में बटंवारा में चक 72 जी बी के पं.न.268/436 मु.नं.20 के किला नं.2 का सवा तीन बिस्वा, 3,4,7,14 इस प्रकार कुल 4 बीधा सवा तीन बिस्वा कृषि भूमि आई। प्रतिवादीया सं.1 जो वादी की माता है उसके हिस्सा में चक 72 जी बी तहसील अनूगढ का पं.न.268/436 मु.नं.20 के किला नं.16,17,24,25 कुल चार बीधा भूमि आई। उक्त लिखित बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 के आधार पर लिखित घरेलू बटंवारानामा में दर्ज किलाजात पर वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता5 पर निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे है लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 पर सहमति प्रतिवादी सं.1,4,5 द्वारा भी दी गई थी लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 नोटरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है तथा वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर प्रदर्श–1 के रूप में प्रदर्शित करवाई गई तथा लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 प्रदर्श –2 के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया व उसके निष्पादन को साबित किया गया। जबकि इसके विपरित डी ड–1 जसवीरसिहं द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिपरिक्षा में डीड–1 द्वारा यह स्वीकार किया कि हमारा भाई मलकीतसिहं जिसको मु.सं.20 में 4 बीधा जमीन आती है हमारे भाई मलकीतसिहं के इस मु.न.20 के किला नं.3,4,7,14 में कुल 4 बीधा कृषि भूमि है यह बात सही है कि हम भाई व बहनो के मध्य जमीन का बटंवारा भी हुआ था और उसकी लिखा पढी भी हुई थी अर्थात डीड–1द्वारा बटंवारा की लिखा पढी को स्वीकार किया है तथा वादी के उक्त कथन खण्डित नंही हुऐ है तथा ना ही प्रदर्श पी–2 लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 के खण्डन स्वरूप डीड–1 की ओर से ऐसी अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता5 के मध्य प्रदर्श पी–2 लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 निष्पादित ना हुआ हो और उसके तहत बटंवारा में वादी को पं.न.268/436 मु.नं.20 के किला नं. 2 का सवा तीन बीघा व किला नं. 3,4,7,14 कुल चार बीधा सवा तीन बिस्वा भूमि आई जो वादी के कब्जा काश्त में है प्रतिवादी सं. 3 द्वारा राजीनामा भी उक्त पत्रावली में वादी के पक्ष में लिखकर दिया जा चुका है। अतः प्रदर्श पी–2 के प्रक्रम में विवाद्यक सं.1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक सं.–2

विवाद्यक सं.2 को साबित करने क[illegible] पी–2 लिखित घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 वादी ने फर्जी व कूट[illegible] किया है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन स्वरूप डीड–1 की ओर से [illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह प्रथम दृष्टया [illegible] –2 फर्जी व कूटरचित तैयार किया है और ना ही प्रतिवादीगण ने वादी के विरूद्ध कोई अ[illegible]धिक अभियोग दर्ज करवाया गया है। जबकि प्रतिपरीक्षा में स्वयं डीड–1 द्वारा यह स्वीकार किया कि हमारा भाई मलकीतसिहं जिसको मु.नं.20 में 4 बीधा जमीन आती है हमारे भाई मलकीतसिहं के इस मु.न.20 के किला नं. 3,4,7,14 में कुल 4 बीधा कृषि भूमि है यह बात सही है कि हम भाई व बहनो के मध्य जमीन का बटंवारा भी हुआ था और उसकी लिखा पढी भी हुई थी अर्थात डीड–1द्वारा बटंवारा की लिखा पढी को स्वीकार किया है तथा इसके खण्डन स्वरूप कोई साक्ष्य प्रस्तुत नंही की है अतः विवाद्यक सं.2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:23 IST
Reason: SelfAttested

विवाद्यक सं.–3

विवाद्यक सं.3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । वादी का वाद किस विधि द्वारा वर्जित है के सम्बधं में प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी विधिक बिन्दू को प्रस्तुत नंही किया और ना ही इस बिन्दू को प्रतिवादीगण द्वारा प्रेस किया गया है अतः विवाद्यक सं.3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष

चूकिं विवाद्यक सं.–1 वादी के पक्ष में व विवाद्यक सं–2व3 प्रतिवादीगण सं.–1ता5 के विरूद्ध तय किए गए है अतः वादी वाद पत्र में अंकितानुसार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी मलकीतसिंह विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वर्णकौर आदि स्वीकार कर निर्णित एवं डिक्रित किया जाता है व वादी को चक 72 जी बी के पत्थर नं.–268/436 मु.नं.20 के किला नं.–2 का सवा तीन बिस्वा, 3,4,7,14 इस प्रकार कुल 4 बीधा सवा तीन बिस्वा कृषि भूमि का घरेलू बटंवारानामा दिनांक 04.06.2012 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अकिंत किए जाने के आदेश दिए जाते है निर्णय की प्रति अलग से तहसीलदार राजस्व अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:23 IST
Reason: SelfAttested